सं0सं0–7/प्रा0–01–01/2018– 92(7)व

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

राधेश्याम साह, भा.प्र.से.
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

सभी सिविल सर्जन
(संलग्न विवरणी के अनुसार)

पटना, दिनांक 22-02-2019

विषयः– स्थापना एवं प्रतिबद्ध व्यय के अन्तर्गत मांग संख्या–20 अन्तर्गत मुख्य व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड–20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,18,50,77,371/– (एक अरब अट्ठारह करोड़ पच्चास लाख सतहत्तर हजार तीन सौ एकहत्तर) मात्र का अतिरिक्त आवंटन।

महाशय,

उपर्युक्त विषयांकित शीर्ष/उपशीर्ष/विपत्र कोड अन्तर्गत विभागीय आवंटनादेश संख्या–20(7)ब दिनांक–14.06.18, 28(7)ब दिनांक–06.09.18, 29(7)ब दिनांक–10.09.18, 33(7)ब दिनांक–01.10.18, 56(7)ब दिनांक–5.11.18, 60(7)ब दिनांक–03.12.18, 68(7)ब दिनांक–28.12.18, 79(7)ब दिनांक–8.01.19 एवं 81(7)ब दिनांक–10.01.19 के क्रम में संलग्न विवरणी के अनुसार वित्तीय वर्ष 2018–2019 में विभिन्न प्राथमिक ईकाईयों में कुल ₹1,18,50,77,371/– (एक अरब अट्ठारह करोड़ पच्चास लाख सतहत्तर हजार तीन सौ एकहत्तर) मात्र का अतिरिक्त आवंटन दी जाती है (विवरणी संलग्न) ।

2. सम्बंधित आवंटनादेश वित्त विभाग के परिपत्र सं0 2561 वि0 (2) दिनांक 17.4.98, परिपत्र 326वि0 दिनांक–2.04.2014 तथा 295वि0 दिनांक–04.03.15 में निहित निदेश के अनुसार व्यय सुनिश्चित किया जाय ।

3. आवंटित राशि की निकासी मांग संख्या–20 अन्तर्गत व्यय शीर्ष–2210–चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य–03–ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएँ–एलोपैथी–103–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र–0001–प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र विपत्र कोड – 20–2210031030001 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018–2019 में आय व्ययक आयोजना भिन्न में उपबंधित राशि से किया जायेगा।

4. संबंधित सिविल सर्जन को निदेश दिया जाता है कि आवंटित राशि को अपने अधिनस्थ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, ग्राम औषधालय एवं जिला प्रशिक्षण दल के कार्यरत बल के आधार पर राशि का उपावंटन करेंगे तथा उसकी एक प्रति विभाग को भी उपलब्ध करायेंगे । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी । एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे।

5. आहार/पथ्य, वाहन का इंधन एवं रखरखाव, सामग्री–पूर्तियाँ, मशीने एवं उपस्कर, दवा भंडार एवं दूरभाष के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित सिविल सर्जन तथा अन्य इकाईयों के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी सम्बंधित क्षेत्रीय अपर निदेशक, निदेशक लोक स्वास्थ्य संस्थान, पटना एवं प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा सभी के नियंत्री पदाधिकारी निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार, पटना होंगे ।

6. सिविल सर्जन एक इकाई से दूसरी इकाई में या एक उपशीर्ष से दूसरे उपशीर्ष में अपने स्तर से राशि का विचलन नहीं करेंगे। साथ ही विभाग द्वारा जिस संस्थान को जो राशि आवंटित की जा रही है उसी संस्थान में व्यय सुनिश्चित की जाय । इसमें किसी भी तरह की शिथिलता वांछनीय नहीं होगी । इसकी पूरी जबावदेही संबंधित सिविल सर्जन की होगी ।

7. कई पदाधिकारियों/कर्मचारियों के बकाये वेतन का भुगतान नहीं हुआ है जिसके कारण माननीय उच्च न्यायालय के सामने भी कई मामले दायर किये गये हैं । माननीय उच्च न्यायालय ने ऐसे मामलों में यह आदेश पारित किया है कि विभाग देय बकाये वेतनादि का भुगतान शीध्र करे । अतः यह आदेश दिया जाता है कि जिन पदाधिकारियों/कर्मचारियों का बकाया वेतन है वे शपथ पत्र के साथ अपना आवेदन सम्बंधित सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख को देंगे । सिविल सर्जन/क्षेत्रीय अपर निदेशक/ निदेशक प्रमुख निम्नांकित बिन्दुओं पर आवेदन की जाँच कर बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे।

1. संबंधित पदाधिकारी/कर्मचारी विधिवत वहां पदस्थापित हैं ।
2. विधिवत पदस्थापित होने का सत्यापन कर केवल उसी अवधि का वेतन का भुगतान किया जायेगा जिस अवधि में ये पदाधिकारी वास्तव में कार्य किये हों ।
3. जहाँ तक कर्मचारियों के बकाये वेतनादि के भुगतान का प्रश्न है सिविल सर्जन इस बात का सत्यापन कर लेंगे कि उक्त अवधि का भुगतान पूर्व में नहीं हुआ है।

सिविल सर्जन / क्षेत्रीय अपर निदेशक/निदेशक प्रमुख उपरोक्त शर्त्तों से संतुष्ट होने पर इस आवंटनादेश से बकाये वेतनादि का भुगतान करेंगे । यहां यह भी स्पष्ट किया जाता है कि पुनरीक्षित वेतनमान के अन्तर राशि भी सिविल सर्जन सब तरह से संतुष्ट होकर कि, कितनी राशि देय है, का भुगतान इस आवंटन से कर सकते हैं ।

8. यह मात्र आवंटन आदेश है। इसे व्यय की स्वीकृति न समझा जाय। व्यय हेतु निर्धारित वित्त विभाग/ स्वास्थ्य विभाग की प्रक्रिया का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वीकृति बल के विरूद्ध नियमानुकूल नियुक्त पदाधिकारी/कर्मचारी का ही वेतन भुगतान सुनिश्चित करेंगे तथा इस आशय का प्रमाण–पत्र वेतन विपत्र में भी अंकित करेंगे ।

10. क्रय सम्बंधी कार्य स्वास्थ्य विभागीय पत्रांक–96(9) दिनांक–18.02.99, 142(9) दिनांक– 15.03.2001, 241(9) दिनांक–21.05.2002 एवं 379(9) दिनांक–16.08.2002 तथा 73(9) दिनांक 28.1.06 के आलोक में सभी सरकारी औपचारिकताओं को पूरा करते हुए किया जायगा ।

11. आवंटित राशि से किए गए क्रय में निर्धारित विहित प्रक्रिया का पालन करने, उनका सदुपयोग सुनिश्चित करने का पूर्ण उत्तरदायित्व निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी का होगा ।

12. वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव मद में आवंटित राशि से संधारण/मरम्मती आदि के लिए वित्त विभाग द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेश/परिपत्र का अक्षरशः अनुपालन करते हुए ही व्यय सुनिश्चित की जाय।

13. संविदा सेवाएँ (28–02) तथा व्यवसायिक / कला/ तकनीकी सेवाएँ (28–04) इकाई के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित अस्पताल के प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी होंगे ।

14. सामग्री एवं पूर्तियॉ मद में आवंटित राशि से सतरंगी चादर संबंधित भुगतान की राशि भी सम्मिलित है ।

15. संबंधित सिविल सर्जन अपने अधिनस्थ निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी से विहित प्रपत्र में व्यय विवरणी टी0भी0 नं0 एवं तिथि के साथ प्राप्त कर समेकित कर तथा सम्बंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तारीख तक विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध करायेंगे ।

16. इसकी प्रति महालेखाकार बिहार, पटना को भी दी जा रही है ।

विश्वासभाजन,

(राधेश्याम साह)
सरकार के विशेष सचिव

ज्ञापांक : 92(7)9 पटना, दिनांक : 22-02-19

प्रतिलिपि : महालेखाकार(ले0 एवं ह0) बिहार, पटना/वित्त विभाग बजट शाखा/ संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/ संबंधित जिला पदाधिकारी /संबंधित कोषागार पदाधिकारी/ संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

प्रतिलिपि : मंत्री, स्वास्थ्य के आप्त सचिव/ प्रधान सचिव, स्वास्थ्य के प्रधान आप्त सचिव/ निदेशक प्रमुख, स्वास्थ्य सेवाएँ, बिहार के सचिव/ प्रशाखा पदाधिकारी–7/प्रशाखा पदाधिकारी, / आई0टी0मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, पटना एवं कार्यवाह सहायक को पाँच अतिरिक्त प्रतियों के साथ सूचनार्थ प्रेषित।

सरकार के विशेष सचिव

विवरणी

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20–2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (06–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोषाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	व्यवसायिक/ कला/ तकनीकी सेवाएँ (28–04)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
1	पटना	0	0	0	0	0	0	740201	0	0	0	0	0	0	0	0	1000000	2000000	0	0	3740201	307/14.1.19, 676/24.1.19
2	भोजपुर	25000000	3000000	4000000	250000	500000	32750000	0	0	0	0	0	0	50000	5000000	25000000	0	15000000	20000000	3000000	100800000	122/11.1.19, 207/16.1.19
3	रोहतास	3000000	360000	480000	30000	60000	3930000	0	10000	20000	0	0	0	17000	0	1000000	0	10000000	2000000	0	16977000	57/10.1.19
4	गोपालगंज	1260000	151200	201000	12600	25200	1650000	56908	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1706908	2802/28.11.18, 102/14.1.19
5	सुपौल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	15000000	5000000	0	0	200000	20500000	123/22.1.19
6	कटिहार	3200000	384000	512000	32000	64000	4192000	0	30000	50000	0	5000	92000	50000	500000	10000000	1000000	10000000	10000000	200000	36119000	107/19.1.19
7	पूर्णिया	20000000	2400000	3200000	200000	400000	26200000	0	0	0	200000	0	0	0	200000	1000000	800000	0	10000000	2000000	40400000	43/5.1.19
8	दरभंगा	25000000	3000000	4000000	250000	500000	32750000	0	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	10000000	5000000	0	47770000	2222/22.11.18
9	छपरा	26000000	3120000	4160000	260000	520000	34060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000000	7500000	0	61560000	94/8.1.19
10	समस्तीपुर	30000000	3600000	4800000	300000	600000	39300000	476941	0	0	0	0	0	0	0	0	500000	10000000	10000000	0	60276941	95/8.1.19, 117/10.1.19
11	जहानाबाद	0	0	0	0	0	0	91633	0	0	0	0	0	0	500000	6000000	0	0	0	1500000	8091633	2635/20.12.18, 192/28.1.19
12	अरवल	4900000	637000	784000	49000	98000	6468000	0	0	0	500000	0	0	0	100000	5000000	0	1000000	20000000	0	33068000	235/11.2.19, 251/14.2.19
13	सहरसा	8000000	960000	1280000	80000	160000	10480000	0	20000	20000	0	0	0	25000	0	0	0	2000000	1000000	0	13545000	241/29.1.19
14	जमुई	880000	132000	140800	11432	17600	1181832	211286	0	0	0	0	0	0	0	1000000	0	1000000	2000000	0	5393118	2250/15.12.18, 272/7.2.19
15	शिवहर	10000000	1200000	1600000	100000	200000	13100000	0	0	0	0	0	0	25000	0	0	0	10000000	0	0	23125000	1032/20.11.18
16	किशनगंज	9000000	1080000	1440000	90000	180000	11790000	0	0	25000	0	0	0	0	0	1000000	0	4000000	6000000	0	22815000	260/26.11.18, 2810/20.12.18
17	बेतिया	23000000	2760000	3680000	100000	460000	30000000	0	0	25000	50000	0	0	0	0	0	0	10000000	10000000	873000	50948000	127/27.1.19, 1845/27.9.18

92(7)9
22-02-19

वित्तीय वर्ष 2018–2019 में बिहार स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20–2210031030001) का वेतन भत्ता एवं अन्य मदों में अतिरिक्त आवंटन

क्रम	जिला का नाम	वेतन (01–01)	जीवन यापन भत्ता (01–03)	मकान भत्ता (01–04)	चिकित्सा भत्ता (01–06)	अन्य भत्ता (01–07)	योग वेतन	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (08–01)	यात्रा व्यय (11–01)	कार्यालय व्यय (13–01)	वाहन का ईंधन एवं रख–रखाव (13–02)	दूरभाष (13–03)	विधि प्रभार (13–05)	वर्दी/ पोशाक (13–06)	सामग्री एवं पूर्तियाँ (21–01)	दवा भंडार (21–02)	आहार/ पथ्य (21–03)	संविदा सेवाएँ (28–02)	व्यवसायिक/ कला/ तकनीकी सेवाएँ (28–04)	मशीने एवं उपस्कर (52–01)	कुल	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
18	गया	50000000	6000000	8000000	500000	1000000	65500000	0	0	50000	0	0	0	50000	0	5000000	0	10000000	20000000	0	100600000	3973/29.12.18
19	मुंगेर	25000000	3000000	4000000	250000	500000	32750000	0	0	10000	20000	0	18000	4000	0	2000000	100000	2000000	3000000	0	39902000	277/6.2.19
20	मधेपुरा	4000000	480000	640000	40000	80000	5240000	0	0	300000	0	0	0	0	100000	1000000	3000000	10000000	13000000	0	32640000	70/21.1.19
21	मुजफ्फरपुर	8000000	960000	1280000	80000	160000	10480000	270570	20000	20000	0	0	0	20000	0	0	0	10000000	10000000	0	30810570	4096/22.12.18
22	लखीसराय	20000000	2400000	3200000	200000	400000	26200000	22000	10000	10000	20000	20000	100000	20000	0	500000	0	1000000	1000000	0	28902000	1920/11.12.18, 1873/1.12.18,
23	नवादा	7000000	840000	1120000	70000	140000	9170000	0	0	100000	100000	0	0	0	1000000	10000000	0	0	10000000	700000	31070000	247/29.1.19
24	नालन्दा	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0	0	0	0	25000000	0	10000000	95000000	0	130050000	33/4.1.19
25	औरंगाबाद	20000000	2400000	3200000	200000	400000	26200000	0	20000	20000	25000	0	0	25000	500000	100000	500000	10000000	20000000	0	57390000	9/1.1.19
26	भागलपुर	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	400000	17000000	0	15000000	30000000	500000	62900000	121/11.1.19
27	खगड़िया	25000000	3000000	4000000	250000	500000	32750000	0	0	25000	0	0	0	22000	0	1000000	50000	10000000	10000000	0	53847000	2594/11.12.18
28	मधुबनी	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	0	20000	500000	0	1000000	10000000	20000000	300000	31860000	61/10.1.19
29	मोतिहारी	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0	0	0	0	0	100000	0	12500000	0	12620000	100/23.1.19
30	सीतामढ़ी	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0	50000	60000	0	6000000	1000000	3500000	15000000	0	25650000	42/7.1.19
	कुल	348240000	41864200	55717800	3355032	6964800	456141832	1869539	160000	795000	915000	25000	260000	388000	9100000	132600000	14050000	196500000	363000000	9273000	1185077371	

(एक अरब अट्ठारह करोड़ पच्चास लाख सतहत्तर हजार तीन सौ एकहत्तर) रू0 मात्र

92(7)9
22-02-19

सरकार के विशेष सचिव

उपबंध की स्थिति

प्राथमिक स्वास्थ्य कन्द्रों / अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं ग्राम औषधालयों (विपत्र कोड 20–2210031030001)

क्रमांक	प्राथमिक इकाई एवं कोड	बजट उपबंध	पूर्व में आवंटित राशि	वर्तमान आवंटित राशि	कुल आवंटित राशि	अवशेष राशि
1	2	3	4	5	6	7
1	वेतन (0001–01–01)	5999146000	5639140000	348240000	5987380000	11766000
2	जीवन यापन भत्ता (0001–01–03)	899872000	848806100	41864200	890670300	9201700
3	मकान किराया भत्ता (0001–01–04)	959863000	903479400	55717800	959197200	665800
4	परिवहन भत्ता (0001–01–05)	1930000	1871800	0	1871800	58200
5	चिकित्सा भत्ता (0001–01–06)	152352000	147721428	3355032	151076460	1275540
6	अन्य भत्ता (0001–01–07)	119982000	112707200	6964800	119672000	310000
7	त्यौहार अग्रिम (0001–01–08)	5000000	0	0	0	5000000
	योग 20-2210.03.103.0001.01-वेतन	**8138145000**	**7653725928**	**456141832**	**8109867760**	**28277240**
8	चिकित्सा प्रतिपूर्ति (0001–06–01)	5000000	3090246	1869539	4959785	40215
9	यात्रा व्यय (0001–11–01)	6400000	3262800	160000	3422800	2977200
10	कार्यालय व्यय (0001–13–01)	9200000	4490000	795000	5285000	3915000
11	वाहन का इंधन एवं रख रखाव (0001–13–02)	23000000	9785000	915000	10700000	12300000
12	दूरभाष (0001–13–03)	10000000	5744844	25000	5769844	4230156
13	विद्युत प्रभार (0001–13–04)	40000000	40000000	0	40000000	0
14	विधि प्रभार (0001–13–05)	2000000	1726500	260000	1986500	13500
15	वर्दी / पोषाक (0001–13–06)	6390000	3830500	388000	4218500	2171500
16	किराया महसूल एवं कर (0001–14–01)	7500000	7500000	0	7500000	0
17	प्रशिक्षण व्यय (0001–20–03)	45000000	0	0	0	45000000
18	सामग्री एवं पूर्तियाँ (0001–21–01)	66200000	36523000	9100000	45623000	20577000
19	दवा भंडार (0001–21–02)	660000000	487500000	132600000	620100000	39900000
20	आहार / पथ्य (0001–21–03)	100000000	55878000	14050000	69928000	30072000
21	लघु कार्य (0001–27–01)	1000	0	0	0	1000
22	अनुरक्षण एवं मरम्मत (0001–27–02)	10000000	0	0	0	10000000
23	संविदा सेवाऍं (0001–28–02)	1000000000	766522000	196500000	963022000	36978000
24	व्यवसायिक / कला / तकनीकी सेवाऍं (0001–28–04)	1500000000	1091912000	363000000	1454912000	45088000
25	मशीने एवं उपस्कर (0001–52–01)	30000000	20727000	9273000	30000000	0
	कुल योग:–	**11658836000**	**10192217818**	**1185077371**	**11377295189**	**281540811**

92(7)9
22-02-19

सरकार के विशेष सचिव